न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व),श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : मुकेश बारैठ {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 82/2017

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व, श्रीकरणपुर। --प्रार्थी--

1.

बनाम

1. रामलाल पुत्र सहीराम जाति जाट, निवासी नग्गी, श्रीकरणपुर। --अप्रार्थी--

दावा अन्तर्गत धारा 83-84-86 आरटीए

--निर्णय-- दिनांक : 23.10.2017

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 37 एच की जमाबंदी सम्वत 72 ता 75 के खाता संख्या 17 के मु0न0 10, 11, 108 मे कुल 7.562 है0 भूमि इन्द्राज, रामेश्वर पिसरान खेताराम बहिस्सा बराबर 3.795 है0, राजो देवी पत्नी सहीराम, रामलाल, राजपाल, गोपीराम, कृष्णचंद्र, आदराम पिसरान सहीराम बहिस्सा बराबर 3.768 है0 खातेदारी दर्ज है। उक्त भूमि से पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार मु0न0 10, 11, 108 मे 8 वृक्ष शीशम के थे जो रामलाल पुत्र सहीराम ने बिना अनुमति काट लिए है। उक्त काटे हुए पेड कुर्क किये जाकर रामलाल पुत्र सुखराम जाति जाट निवासी नग्गी को सुपुर्दगी पर दे दिए है ताकि पेड खुदबुर्द न किये जा सके। उक्त विवादित भूमि मे प्रतिवादी रामलाल पुत्र सुखराम द्वारा 8 पेड शीशम के बिना अनुमति काट लिए है, जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 86 की अवहेलना है, इसलिए प्रतिवादी को उक्त पेड बिना स्वीकृति के काटने के कारण धारा 86 के तहत भारी से भारी शास्ति आरोपित की जावे। वाद पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार मे है। वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद स्वीकार फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थी को जरिए सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि चक 37 एच के खाता संख्या 17/16 मे 1.897 है0 नहरी भूमि मेरे एवं मेरे परिवार के नाम से दर्ज है जिस पर पारिवारिक समझौता के अनुसार 70 वर्षो से निर्विवादित कब्जा चला आ रहा है। शिकायतकर्ता इंद्राज, रामेश्वर पिसरान रेवताराम मेरे भाई बंधु है। शिकायतकर्ता द्वारा मु0न0 11 के किलान0 12, 13 की भूमि मे बिना अनुमति टाली के पेड काटे जाने व अपने आधिपत्य मे होने का कथन प्रार्थना पत्र मे किया है जो कि सरासर निराधार व झूठा है। माननीय उपखण्ड अधिकारी द्वारा किये गये आदेश दिनांक 18.08.2017 अप्रार्थी की अनुपस्थिति मे एक तरफा किये गये है जिसके संबंध मे राजस्व पटवारी के द्वारा दिनांक 21.08.2017 को बिना सुनवाई का अवसर दिये मौके पर जाकर पेडो को खुर्दबुर्द न करने की हिदायत देकर मौके पर ही पडे रहने का आदेश दिया गया है। अप्रार्थी के पूर्वजो द्वारा गांव 37 एच के खाता संख्या 17/16 मे करीबन 70 वर्ष पूर्व घरेलू बंटवारा किया गया था जिस पर घरेलू बंटवारे के अनुसार अप्रार्थी के पूर्वज आज दिनांक तक निर्विवादित कब्जा काश्त चला आ रहा है। अप्रार्थी के पूर्वजो ने खूब पैसा लगाकर भूमि को कृषि योग्य बनाया एवं इस पर अनेको पेड भी लगाए। शिकायतकर्ता के पूर्वजो द्वारा आपसी सहमति के अनुसार ही इस भूमि पर अप्रार्थी के पूर्वजो को कब्जा दिया गया था। अप्रार्थी के द्वारा दिनांक 17.08.2017 को एक प्रार्थना पत्र श्रीमान तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर के समक्ष प्रस्तुत कर मु0न0 10 व 11 मे लगे पेड तूफान मे टूट जाने व खाले के उपर गिरकर खाला अवरूद्ध हो जाने के कारण पेड काटने की इजाजत के लिए प्रस्तुत किया गया था जिस पर माननीय तहसीलदार महोदय द्वारा दिनांक 18.08.2017 को जांच कर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए गए थे। जिसमे पटवारी भू अभिलेख व राजस्व पटवारी द्वारा दिनांक 19.08.2017 को रिपोर्ट की गई थी, परंतु इसके पश्चात भी माननीय उपखण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 18.08.2017 के संदर्भ मे अप्रार्थी को सुने बिना उसके खेत मे पडे पेड न हटाने के लिए दिनांक 21.08.2017 को राजस्व पटवारी द्वारा पाबंद किया गया है जो कि कृषि कार्य करने मे बाधक है। अप्रार्थी को घरेलू आवश्यकता होने के कारण भी पेड काटने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था लेकिन वर्तमान नियमो मे परिवर्तन के कारण शीशम, कीकर आदि के पेडो को काटने या कृषि कार्य मे बाधा पहुंचाने के कारण हटाने मे किसी प्रकार की कोई मंजूरी की आवश्यकता नही है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा किये गये आदेश दिनांक 18.08.2017 के संदर्भ मे राजस्व पटवारी द्वारा की गई एक तरफा कार्यवाही काबिले निरस्ती है।

Scanned by CamScanner

अनवान प्रकरण राजस्थान सरकार बनाम रामलाल अन्तर्गत धारा 83-84-86 आरटीए
प्रकरण संख्या 82/2017

अत: जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि आदेश दिनांक 18.08.2017 के संदर्भ मे राजस्व पटवारी नग्गी द्वारा की गई एकतरफा कार्यवाही खारिज फरमाई जाने का कष्ट करे।

दोनो पक्षो को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी रामलाल पुत्र सही राम के द्वारा चक 37 एच के मु0न0 10, 11, 108 मे 8 वृक्ष शीशम के विना अनुमति काटे गए है, जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 86 की अवहेलना है। अत: अप्रार्थी को विना स्वीकृति के पेड काटने के कारण भारी जुर्माना से दण्डित किया जावे। रिपोर्ट पटवारी के अनुसार मु0न0 10, 11 मे 8 पेड शीशम के कटे हुए है और मौका पर 80 वृक्ष शीशम के ओर खडे है। अप्रार्थी के द्वारा जवाव पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की चक 37 एच के खाता संख्या 17/16 मे 1.897 हैक्टर नहरी भूमि प्रार्थी एवं प्रार्थी के परिवार के नाम से दर्ज है। जिस पर पारिवारिक समझौते के अनुसार 70 वर्षो से शांतिपूर्वक कब्जा चला आ रहा है। इस भूमि मे प्रार्थी के पूर्वजो के द्वारा अनेको पेड लगाए गए। मु0न0 10 व 11 मे लगे पेड तूफान से टूट जाने के कारण खाला अवरूद्ध हो जाने के कारण पेड काटने की स्वीकृति हेतु तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया गया। मौके पर प्रार्थी की मूंग की फसल खडी है, जो इन पेडो के कारण खराव हो रही है। श्रीमान जिला कलक्टर महोदय श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 16.10.2008 के अनुसार काश्तकार अपने खेत मे से खडे पेड जिसमे शीशम भी सम्मिलित है को हटाने के लिए अनुमति की आवश्यकता नही है। इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

उपरोक्त तथ्य के विवेचन एवं पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्य सवूत के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 83-84-86 आरटीए इस निर्देश के साथ खारिज किया जाता है कि अप्रार्थी राम लाल पुत्र सही राम जाति जाट निवासी नग्गी इन काटे गए 8 पेडो की ऐवज मे 16 पेड अपनी कृषि जोत मे लगाएगा एवं इन काटे गए 8 पेडो को अपने घरेलू उपयोग मे लेगा। इन काटे गए 8 पेडो की लकडी को वेचान नहीं करेगा, यदि अप्रार्थी रामलाल के द्वारा इन पेडो की लकडी का घरेलू उपयोग के अलावा अन्य कोई उपयोग किया जाता है या इन लकडी का वेचान किया जाता है तो अप्रार्थी रामलाल के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी। आदेश इस आशय का तहसीलदार श्रीकरणपुर के नाम जारी हो।

पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 23/10/2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner